(9 सूचना का अधिकार –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 ब के अनुसार 17 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार संलग्न है ।

लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग सिवनी

बिन्दु क्रमांक –1- इसके संगठन कृत्य तथा कर्तव्यो की विशिष्टताएं

’ स्थापत्यकला ।

’ राज्य की पुलों का सर्वेक्षण रूपांकन परिकल्पना, निर्माण , सुधार एवं देख रेख ।

’ यह विभाग राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में पुलो से संबंधित सर्वेक्षण, रूपांकन , निर्माण, और रखरखाव का कार्य भी सम्पन्न करता है ।

’ केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दस्युग्रस्त क्षेत्रों में पुलों का निर्माण ।

’ बांड बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत पुलों का निर्माण ।

’ राष्ट्रीय विकास बैक की सहायता से पुल निर्माण ।

बिन्दु क्रमांक –2

इसके अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मकार/नियोजितों की शक्तियां एवं कर्तव्य ।

संगठात्मक गठन:- प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता विभाग के शीर्ष होंगें । प्रमुख अभियंता विभाग की सभी गतिविधियों पर पर्यवेक्षण रखेगा एवं विभाग के व्यवस्थित कार्य संपादन के लिए शासन के प्रति दायी होगा ।

मुख्य अभियंतागण जो परिक्षेत्र के प्रभार में हैं उनके आधीन शासन द्वारा मंजूर मण्डल/संभाग/उपसंभाग होंगें इसके अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं जैसे शोघ परिकल्पना आदि की भी अपेक्षा अनुसार प्रकाशित किया जा सकता है ।

उपसंभागों / संभागों / मंडलों की मांग का निर्धारण समय समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जावेगा ।

प्रशासनिक संरचना:-

प्रमुख अभियंता:- प्रमुख अभियंता शासन का वृत्तिक सलाहकार होगा एवं विभाग के सभी कार्यो के लिए दायी होगा । वह मुख्य अभियंतागण के मध्य समन्वित प्राधिकारी भी होगा ।

मुख्य अभियंता:- मुख्य अभियंता उसकी अधिकारिता के अंतर्गत प्रशासन एवं कर्मचारीवृन्द को नियंत्रित करने के संबंध में विभाग का शीर्ष होगा ।

मण्डल:- विभाग की प्रशासनिक ईकाई मण्डल है । अधीक्षण यंत्री स्वयं के प्रभार में होने वाले मण्डल के भीतर संपादित कार्यो के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए दायी है ।

संभाग:- (क) विभाग की कार्यकारी ईकाई कार्यपालन यंत्री के प्रभार में होने वाला संभाग है । जो सहायक यंत्री गण के लिए विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है । कार्यपालन यंत्री उसके संभाग के अंतर्गत कार्यो के प्रबंध एवं निष्पादन के दायी है ।

(ख) संभाग अधिकारी प्राथमिक संवितरक के रूप में सम्पूर्ण संभाग के सभी वित्तीय संव्यवहारों एवं खातों के उचित रखरखाव के लिए दायी होगा । आंकेक्षण एवं सामान्य लेखों में सम्मिलित करने के लिए नियत दिनांक तक उससे महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने की अतिरिक्त अपेक्षा भी की जाती है । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके संभाग के लेखों को बकाया होने की अनुमति नही दी गई है ।

उपखंड:- संभाग को उपखंडों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उप-खंड सहायक यंत्री के प्रभार में होगा जो विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है । अनुविभागीय अधिकारी उसके उपखंड के आधीन कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए कार्यपालन यंत्री के प्रति जिम्मेदार है ।

अनुभाग:-उपखंड को उप अभियंता के प्रभार में अनुभागों में विभक्त किया जाता है जो कि उसके अनुभाग में कार्य के निष्पादन एवं प्रबंध के लिए दायी होगा । अनुभाग उनकी सीमाएं एवं मुख्यालय को सहायक यंत्री द्वारा नियत किया जावेगा । किसी अभियंता को अनुभाग का प्रभार नही दिया जायेगा जब तक कि

वह विहित प्रशिक्षण नही ले चुका है अथवा लेखें परीक्षा को उत्तीर्ण नही कर चुका है ।

बिन्दु क्रमांक –3- विनिश्चय / निर्णय किये के प्रक्रम में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी /पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही का माध्यम/सारणी भी:-

लोक निर्माण विभाग राज्य के वृहद् पुल, ओव्हर ब्रिज आदि के निर्माण एवं संधारण हेतु प्रमुख अभिकरण है ।

बिन्दु क्रमांक 4- उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा मानदंड /प्रतिमान निश्चित करना:-

- मापदंड:- प्रत्येक परिक्षेत्र, मंडल संभाग उपसंभाग तथा अनुभाग का कार्यक्षेत्र एवं कार्य का परिणाम विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से संवाहित किये गये है ।

- कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियां देने बाबद समय सीमा हेतु प्रत्येक स्तर पर समय निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किये गये है ।

- निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु विभिन्न स्तरों पर समय सीमा परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई है ।

- गुणवत्ता प्रबंधन:- निर्माण कार्य का स्तर एवं विशिष्टता का सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभाग निम्नलिखित कोडस का परिपालन करता है ।

आई.आर.सी. कोडस

एम.ओ.आर.एस.टी. एच स्पेशिफिकेशन

शेडूल्य आफ रेट

बिन्दु क्रमांक 5

उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन या उसके कर्मचारियों /कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों विनियमां े, अनुदेशों मेन्युअल्स, और अभिलेख

मध्यप्रदेश वर्क्स डिपार्टमेंट नियमावली 1983

मेन्युवल में दर्शाये गये रिकार्डस

जैसा कि

- कार्य संबंधी
- पुल के रजिस्टर
- प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर
- तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर
- शेडूल्य आफ रेटस
- इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कोडस
- एम.ओ.आर.एस.टी. स्पेशिफिकेशनस

बिन्दु क्रमांक–6

उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के आधीन दस्तावेजों की श्रेणीयांे का विवरण योजना से संबंधित

बिन्दु क्रमांक –7

उसकी नीति के सूत्रीकरण / प्रतिपादन   अथवा उसके कार्यान्वयन /परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध /व्यवस्था की विश्ष्टिियां के संबंध में किसी प्रबंध / व्यवस्था की विशिष्टियां जो लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए मौजूद है /अस्तित्व में है । मध्यप्रदेश शासन स्तर एवं प्रमुख /मुख्य अभियंता कार्यालय स्तर पर लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिए परामर्श दात्री समितियों का गठन किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक 8

उन बोर्ड परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श की क्या आशय के लिए

रखे गये है । का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डो परिषदों कमेटियेां तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिए (सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या एसे सम्लिनांे के ब्योंैरे /विवरण पब्लिक के पहुंच योग्य / अभिशगम्य है । मध्यप्रदेश शासन ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु तीन समितियों का गठन किया है ।

1- स्थाई वित्तीय समिति

2- वित्त्ीय व्यय समिति

3- परियोजना परीक्षण समिति

प्रत्येक समिति द्वारा समय समय पर परियोजना के परिणाम का आंकलन एवं इस आधार पर उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में जारी रखने या नही रखने बाबत निर्णय लिया जाता है । इस संबंध में जारी समितियों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से खुली नही है ।

बिन्दु क्रमांक 9 इसके अधिकारियों और कर्मचारियों /नियोजितों की निर्देशिका

(डायरेक्टरी)

उपसंभाग में कुल अधिकारी एवं कर्मचारीयों की संख्या है ।

श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार है ।

म.प्र. अभियांत्रिकी सेवा वर्ग 2 1

म.प्र. अभियांात्रिकी सेवा वर्ग 3 2

1 गैर यात्रिक 8

2 कंटीजेंसी एवं कार्यभारित सेवाएं 5

बिन्दु क्रमांक 10 मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियें द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ती /मुआवजे /प्रतिकर की पद्धति भी:- विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते एवं कटौतीयों का संधारण लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा किया जाता हैं ।

बिन्दु क्रमांक 11 उसकी प्रत्येक ऐजेन्सी (अभिकरण) के लिए आबंटित बजट समस्त योजनाओं की प्रस्तावित खर्चो (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों/ अदायगी की रिपोटर्स की विशिष्टियां विभाग का जिलेवार आय व्यय का संधारण लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा किया जाता हैं ।

बिन्दु क्रमांक 12- अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आबंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहीयों के विवरण

वर्तमान में विभाग द्वारा कोई भी कार्य सबसिडि प्रोग्राम के अंतर्गत नही किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 13 उसके द्वारा दी गई रियायतों /सुविधाओं अनुज्ञा-पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां:-

विभाग द्वारा पुलों पर टौल टेक्स अधिरोपित किया जाता है । परन्तु वर्तमान में उपसंभाग के किसी भी पुल में विभाग द्वारा टोल-टैक्स नहीं वसूला जा रहा हैं ।

बिन्दु क्रमांक 14- उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

वर्तमान में इस कार्यालय से जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से नहीं दी जा रही है ।

बिन्दु क्रमांक 15- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टीयों और वाचनालय (लायब्रेरी) या रीडिंग रूम (अध्ययन कक्ष) के कार्यकारी घंटे (समय) यदि लोक उपयोग के लिए बनाये रखा गया है की भी विशिष्टियां:-

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु सिटिजन चार्टर जारी किया गया है । जानकारी आदेश में वर्णित संबंधित से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

- जानकारी हेतु प्रथक से किसी लाईब्रेरी अथवा रीडिंग रूम की व्यवस्था नही है । बिन्दु क्रमांक 16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदसंज्ञा /पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (5) के तहत मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्रमांक/4-1-2005सा/19दिनांक 22-08-

2005 द्वारा अधिकारियों से संबंधित लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है । आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक 17 ऐसे अन्य सूचनाए जो विहित की जाये ।

निरंक

(पी0 के0 पटवा)
-
अनुविभागीय अधिकारी

लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण

उपसंभाग सिवनी (म0प्र0)